न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर (जयपुर)

श्रीमती धीपीदेवी **बनाम** मन्नी देवी

मुकदमा संख्या / वर्ष 184/12 प्राव. / 20

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/2/2023	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली व बहस का अवलोकन किया गया। तहसीलदार आमेर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है की ग्राम बैनाड़ मय दौलतपुरा के आराजी ख०नं० 454, 525/914, 687 के मौके पर ख०नं० 454 रकबा 2.25 हैक्टेयर व खसरा नं० 525/914 रकबा 0.08 हैक्टेयर में आवासीय कॉलोनी काट दी गई है मौके पर कॉलोनी विकसित हो चुकी है जिसका नाम "बालाजी नगर" है, जिसमें भैरव गृह निर्माण सहकार समिति द्वारा पट्टे जारी किये गये हैं। तथा वर्तमान में किसी प्रकार कोई भी कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इसी प्रकार ग्राम बैनाड़ मय दौलतपुरा के आराजी ख०नं० 687 रकबा 0.68 हैक्टेयर पर आवासीय कॉलोनी जिसका नाम मॉडल टाउन-3 विकसीत है वर्तमान में किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। एवं वादी का कहीं पर भी काबिज नहीं है। पार्टी/वादी के रिपोर्ट के खण्डन में अभिव्यक्त किया की अनुसूचित जाति की कृषि भूमि अन्य जाति के नाम हस्तान्तरित नहीं हो सकती है यदि इकरारनामा विक्रय पत्र सोसाईटी के द्वारा क्रय कर भी लिया जाता है तो शून्य है।	

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

AC ल आमेर
श्रीमति धापीदेवी बनाम मन्नीदेवी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	102/12 3/5
	तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट का खण्डन वादी अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया वादी द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। वादी यह साबित करने में भी असफल रहे की मौके पर कॉलोनी विकसित नहीं है और वादी काबिज है। तहसीलदार आमेर, जयपुर की रिपोर्ट से स्पष्ट है की विवादित आराजी पर कॉलोनीयां विकसीत हो चुकी है और वादी काबिज भी नहीं है। रिपोर्ट पर स्वयं तहसीलदार आमेर के हस्ताक्षर है। अतः तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के आधार वाद का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। फलस्वरूप वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर